अपील सूचना का अधिकार संख्या 12/2022 (GCMS 2022/29)(आईटीआई पोर्टल नं. 212396869160182) इन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण कुमार वीपीओ ताजा पतली, अबोहर–152122 पंजाब बनाम उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.09.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी इन्द्र कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी इन्द्र कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दिनांक 17.11.2021 को प्रार्थना पत्र पेश कर उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ से एक बिन्दु की सूचना चाही थी किन्तु लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ ने उसे समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, इसलिए अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.11.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ से निम्न सूचना चाही थी:

> provide me attested photocopy of allotment file (Missal) of stone number 68/39 . 68/47 and 68/56 of CHAK -8 SKM-A, Tahsil - Garsana patwar circle 6 SKM-A

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ ने अपने पत्रांक आरटीआई/800 दिनांक 25.04.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है :

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:22 IST
Reason: SelfAttested

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील ... प्रत्युत्तर निम्नानुसार सादर प्रेषित है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 12/2022

1. अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 17.11.2021 में निम्नलिखित सूचना चाही गई थी।

   provide me attested photocopy of allotment file (Missal) of stone number 68/39, 68/47 and 68/56 of CHAK -8 SKM-A, Tahsil - Garsana patwar circle 6 SKM-A

2. प्रार्थी द्वारा वांछित पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक आर.टी.आई./190 दिनांक 31.12.2022 के जरिये प्रार्थी को प्रेषित कर दी गई है। (छायाप्रति संलग्न)

रिपोर्ट श्रीमान्‌जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय
-sd-
(प्रियंका तलानिया)
राज्य लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
अनूपगढ

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ ने अपने पत्रांक आरटीआई/190 दिनांक 31.12..2022 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक प्रार्थना पत्र के संदर्भ में आप द्वारा चाही गई सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन दिनांक 17.11.2021 में वांछित पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-
(प्रियंका तलानिया)
राज्य लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
अनूपगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी एवं **उपखण्ड मजिस्ट्रेट**, अनूपगढ द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी** एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, **अनूपगढ को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:22 IST
Reason: SelfAttested